


[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION(ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
Department of Revenue
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION
New Delhi, the 18 September, 2013
(INCOME TAX)

S.O.____(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 116 and section 128 of the Finance Act, 2013 (17 of 2013) read with sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby authorises the Assessing Officer having jurisdiction in respect of the assessee for the purposes of the Income-tax Act, 1961, to exercise or perform all or any of the powers and functions conferred on, or, assigned to an Assessing Officer for the purpose of Chapter VII of Finance Act, 2013.

[Notification No. 72/2013, F.No.187/12/2013-(ITA.I)]


(Surabhi Sharma)

Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager
Government of India Press
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

(आयकर)

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर, 2013

का.आ. (अ)- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) एवं (2) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की धारा 116 की उपधारा (2) एवं धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय-VII के प्रयोजनार्थ किसी कर-निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या सौंपी गई सभी या किसी शक्तियों एवं प्रकार्यों का प्रयोग करने अथवा निष्पादन करने हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनार्थ कर निर्धारिती के संबंध में क्षेत्राधिकारिता रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी को प्राधिकृत करता है।

(अधिसूचना सं. 72/2013 फा.सं. 187/12/2013-आयकर नि.1)

सुरभि शर्मा

(सुरभि शर्मा)

अवर सचिव (आ.का.नि.-1)

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी, औद्योगिक क्षेत्र,

(राजोरी गार्डन के समीप)

नई दिल्ली 110064